न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–185 / प्रा0पत्र / 2022 दायर दिनांकः 18.08.2022

GCMS NO:- 2022/369

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. नरसी आ0 सुखदेव जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. मिश्रीलाल आ0 सुखदेव जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. राजावाई पुत्री सुखदेव पत्नी रतन जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
4. जगदीश आ0 भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. हनुमान आ0 भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
6. मथरा देवी पत्नी रामस्वरूप जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
7. सुरेश आ0 प्रहलाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
8. भवानीशंकर आ0 बेजनाथ जाति ब्राहमण निवासी ग्राग बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
9. कमल आ0 रामकल्याण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
10. गोरधन आ0 रामकल्याण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
11. कैलाशी बाई पुत्री शिवजीलाल उर्फ शोजीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
12. गुड्डी बाई पत्नी विमल कुमार जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
13. मीरा बेवा जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
14. मुकेश आ0 लादू जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कमला बेवा किशनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. सांवरा आ0 किशनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. आशा पुत्री चतुर्भुज पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
4. औंकार आ0 नाथू जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. कल्याणी पुत्री नाथू पत्नी प्रहलाद निवासी सुरली पंचायत जैतपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)
6. कालू उर्फ रामसहाय आ0 गोमदा जाति धाकड़ निवासी नगर रोड नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
7. बाबू आ0 चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
8. महावीर आ0 चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
9. राजेन्द्र आ0 केसरा जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
10. रामनाथी बेवा चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
11. रामबिलास आ0 केशरा जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
12. विनोद आ0 चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
13. हेमराज आ0 गोमदा जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
14. प्रकाशी बाई पत्नी रोशन लाल निवासी ग्राम लालगंज जाति तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
15. हनुमान आ0 छीतर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
16. राजेन्द्र आ0 मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
17. हरिप्रसाद आ0 मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम [illegible] नैनवां जिला बून्दी (राज0)
18. भूमि भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील [illegible] बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्रः– वास्ते सजरा नक्शा में रास्ता [illegible] करने
अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सीताराम नागर एवं श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 28.07.2023

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 837 रकबा 3.1066 हैक्टयर स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थीगण 4 लगायत 5 के खातेदारी के भूमि खसरा संख्या 850 रकबा 2.7991 हैक्टयर स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थीगण 6 लगायत 7 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 839 रकबा 1.5047 हैक्टयर स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थीगण 8 लगायत 9 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 856 रकबा 1.4562 हैक्टयर स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थी संख्या 10 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1446/581 रकबा 1.1812 हैक्टयर स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थी संख्या 12 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1447/851 रकबा 0.3964 हैक्टयर स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थीगण 13 लगायत 14 के पारिवारिक हिस्से व खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 840 रकबा 1.9901 हैक्टयर स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 7 में वर्णित भूमियां इस प्रकार प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की है एवं इसी रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण इस वर्ष उडद, सूड, सोयाबिन, मक्का की फसल बो रखी है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 7 में वर्णित भूमियों का आने जाने का आदू रास्ता ग्राम बम्बूली से रालडी जाने वाला राजस्व रिकार्ड के रास्ते में से खोडी निमडी से फटकर पश्चिमी ओर खसरा संख्या 1010 की बीच में और खसरा संख्या 844, 843, 849, 845, 847 के बीच में मेर पर व 846 के बीच में ओर प्रार्थीगण खातेदारी के खेतों में पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शा रखा है। परिशिष्ट "अ" को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे। इस रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस ---(डोट-डोट) के रूप में दर्शा रखा है। यह कि खसरा संख्या 844, 843, 849, 845, 847, 846 खसरा संख्या 1010 प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 16 के खातेदारी में दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 7 में पहुंचने का एक मात्र रास्ता परिशिष्ट "अ" में वर्णित रास्ता है इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता में पहुंचने का सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। जितनी भूमि काम में आयेगी उसका प्रतिकर नियमानुसार प्रार्थीगण जमा करवाने को तैयार है। यह कि अप्रार्थीगण यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि अपने खेतों में आने जाने का रास्ता जो 12 फुट का है जिसे 15 फीट का चौडा कराकर राजस्व नक्शा में व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये।

अप्रार्थीगण 4,6,8 लगायत 11, 13 लगायत 15 ने अपने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र मुताबिक याचना स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण 1,2,16,17 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 1,2,16,17 से रंजिश रखते है तथा अप्रार्थीगण को नुकसान कारित करने मात्र के उद्देश्य से पूर्व में प्रार्थीगण को प्राप्त रास्ते के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण को पूर्व में ही बंबूली से रालडी जाने वाले ग्रेवल रास्ते व चरागाह भूमि में से प्रार्थी संख्या 6 की माता फरमा पत्नि प्रहलाद धाकड की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1041 व प्रार्थी संख्या 6 मथरा देवी के गोद पुत्र विकास आ0 रामफुल के खातेदारी की खसरा संख्या 1435/1041 में होकर सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1042 में होकर खसरा संख्या 839,840,837,1447/851,1446/851, 850, 856 की भूमि पर आते जाते है जिसे नक्शे परिशिष्ट "ब" में नीली स्याही से दर्शाया गया है तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण को दूसरा रास्ता बंबूली से रालडी जाने वाले ग्रेवल रास्ते से होकर खसरा संख्या 1045 में होकर सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1043 व 1042 में होकर प्राप्त है जिसे परिशिष्ट "ब" में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि जवाब प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट "ब" में नीली स्याही से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को रोड से मात्र 25 फीट दूरी पर पडता है तथा खसरा संख्या 837 के खातेदार के करीब 450 फीट पडता है तथा इसी प्रकार परिशिष्ट "ब" में लाल स्याही से [illegible] खसरा संख्या 1045 के खातेदार की भूमि में होकर सिवायचक भूमि व चारागाह [illegible] प्राप्त है जो दोनो ही रास्ते प्रार्थीगण के लिये सुलभ व उपयोगी है त[illegible] है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा परिशिष्ट पेश कि[illegible]

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक वादी व प्रतिवादी की मौजूदगी म मौका देखा गया। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते को मौके की स्थिति अनुसार बंबूली से रालडी की ओर जाने वाले गै.0मु0 रास्ता खसरा संख्या 1009 से खसरा संख्या 1010, 843, 844, 988, 846 व 840 में से रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता है। मौके पर खसरा संख्या 988 से खसरा संख्या 845 के उत्तरी व पश्चिमी कोने तक रास्ता बना हुआ है जो रास्ते के उपयोग में लिया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित खसरा नम्बर 845, 849 व 847

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...अंकित प्रस्ताव में शामिल नही किया गया। यहां से आगे का रास्ता बंद है। प्रस्तावित रास्ता विवरण निम्नानुसार है:-

प्रस्तावित रास्ता प्रथम का विवरण

ख.न.	किस्म	लम्बाई * चौडाई	क्षेत्रफल
1010	चरागाह	22 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 22 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0089 हैक्ट.
843	बारानी 2	46 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 46 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0186 हैक्ट.
844	बारानी 2	46 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 46 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0186 हैक्ट.
988	चरागाह	25 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 25 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0101 हैक्ट.
846	बारानी 3	144 गट्ठा * 2 गट्ठा अर्थात कुल 282 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.1165 हैक्ट.
840	बारानी 2	65 गट्ठा * 2 गट्ठा अर्थात कुल 130 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0525 हैक्ट.
			कुल क्षेत्रफल = 0.2252 हैक्टयर

इस प्रकार उपरोक्त रास्ते के उपयोग हेतु कुल 0.2252 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जावेगी जिसमें से 0.019 हैक्टयर चारागाह एवं 0.2062 हैक्टयर भूमि खातेदारी में स्थित है। यह है कि प्रार्थीगणों को मौके की स्थिति के अनुसार एक ओर अन्य रास्ता खसरा नम्बर 1447/851, 840, 837, 839, 1041, 841 व 1038 में से दिया जा सकता है जो कि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1009 से दिया जा सकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

प्रस्तावित रास्ता द्वितीय का विवरण

ख.न.	किस्म	लम्बाई * चौडाई	क्षेत्रफल
1038	चरागाह	10 गट्ठा * 2 गट्ठा अर्थात कुल 20 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0081 हैक्ट.
1041	बारानी 1	123 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 123 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0498 हैक्ट.
841	बारानी ए	71 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 71 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0287 हैक्ट.
840	बारानी 2	72 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 72 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0291 हैक्ट.
839	बारानी 2	76 गट्ठा * 2 गट्ठा अर्थात कुल 152 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0615 हैक्ट.
837	बारानी ए	8 गट्ठा * 2 गट्ठा अर्थात कुल 16 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0065 हैक्ट.
1447/851	बारानी 2	22 गट्ठा * 1 गट्ठा अर्थात कुल 22 वर्ग गट्ठा	अर्थात् 0.0089 हैक्ट.
			कुल क्षेत्रफल = 0.1926 हैक्टयर

इस प्रकार उक्त द्वितीय प्रस्तावित रास्ता हेतु कुल 0.1926 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जावेगी जिसमें से 0.0081 हैक्टयर चारागाह एवं 0.1845 हैक्टयर भूमि खातेदारी में स्थित है। यह है कि उक्त दिये जाने वाले रास्ते को नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि ग्राम बंबूली की वर्तमान डीएलसी दर की प्रति संलग्न है।

हमने प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी, अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित प्रथम रास्ता मौके पर मौजूद है जिसको अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण को प्रार्थना-पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है। अतः इसी प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण की रास्ते की भूमि में बीच में आने वाले चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने की आवश्यकता नही है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित द्वितीय रास्ता प्रस्तावित प्रथम रास्ते की तुलना में छोटा है, अतः द्वितीय रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावें। बहस में वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्को पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया है कि मौके पर खसरा नम्बर 988 से खसरा संख्या 845 के उत्तरी व पश्चिमी कोने तक रास्ता बना हुआ है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

...के उपयोग में लिया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित खसरा नम्बर 845, 849 व 847 ... रास्ता प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया। अतः तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता ... कि प्रस्तावित प्रथम रास्ता में से लगभग आधा हिस्सा मौके पर मौजूद एवं चालू है जिसके आगे का मार्ग अवरूद्ध है। इस प्रकार प्रचलित रास्तों को अवरूद्ध या विरूपित किये जाने से न्यायालय में रास्ते सम्बन्धित विवादों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध किये जाने से नया रास्ता प्रस्तावित किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित प्रथम रास्ते में चारागाह भूमियों को छोडकर प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम बम्बूली पटवार हल्का वम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में प्रार्थीगण की भूमियों तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 843 में से 46 गट्ठा लम्बा व 1 गट्ठा चौड़ा, खसरा नम्बर 844 में से 46 गट्ठा लम्बा व 1 गट्ठा चौडा, खसरा संख्या 846 में से 144 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौड़ा, खसरा नम्बर 840 में से 65 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौडा भूमि पर रास्ता नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:30 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नजरी नक्शा (कच्चा)
ग्राम - बमूली
तह. नैनवां

प्रस्तावित रास्ता प्रथम (धारा 251 ...)
परिशिष्ट - "क"

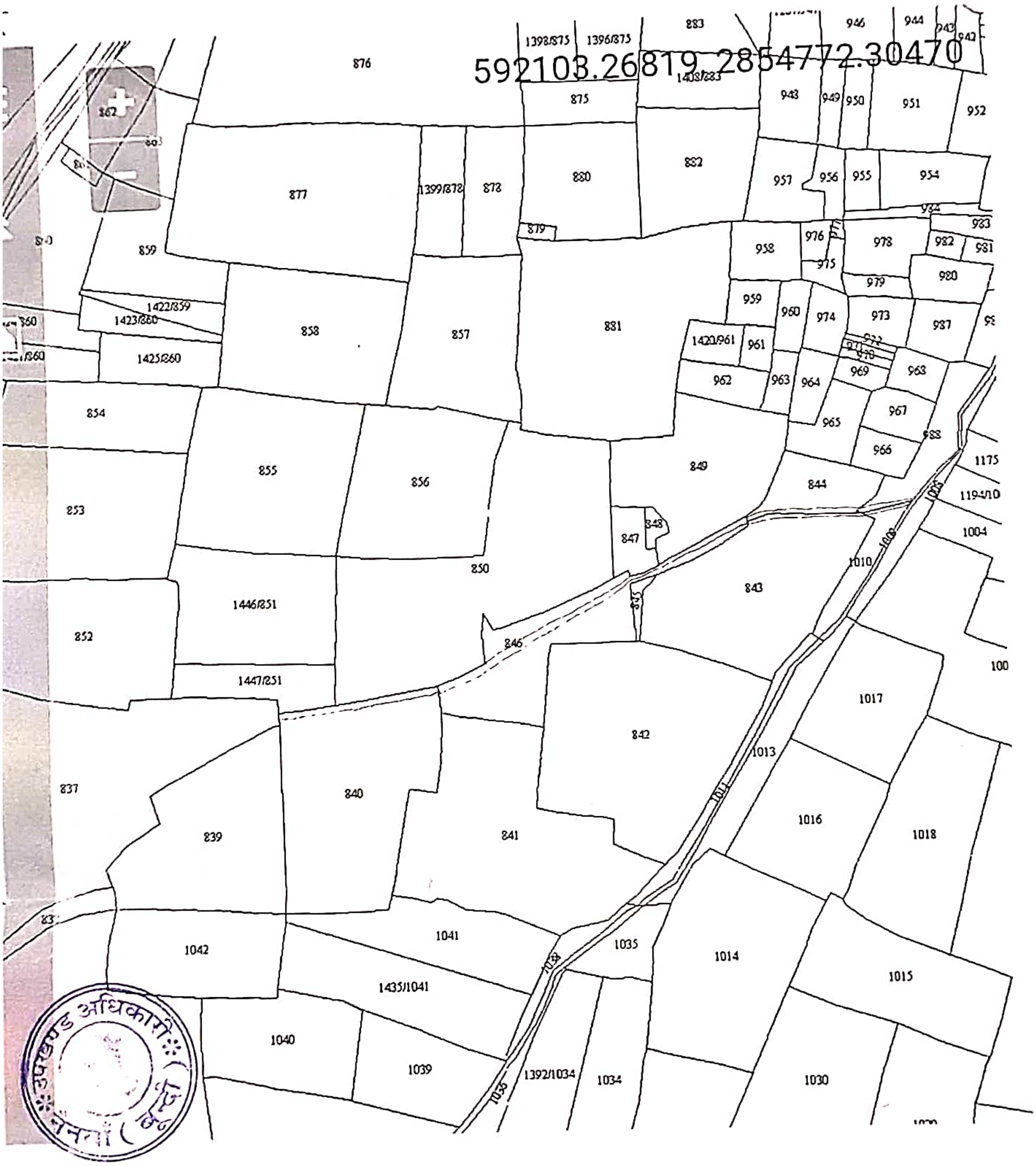

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

एफि. कार्य हेतु नि:शुल्क जारी
P.35 क्रमांक - 158

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/20.23/ 223 दिनांकः– 28.7.23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

~~वाद~~/प्रार्थना पत्र संख्या 185/प्रार्थनापत्र/2022

बउनवान नरसी बनाम कमला

निर्णय दिनांक 28-7-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री~~/~~अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार। निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:30 IST
Reason: SelfAttested